न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1566/2004/उदयपुर

1. राज्य जरिये जिला वन अधिकारी, दक्षिण वन विभाग (उप वन संरक्षक) उदयपुर (दक्षिण) राज0 ।
2. रेन्जर वन विभाग रेंज झाड़ोल(फ) जिला उदयपुर राज0।

...........**अपीलांट**

बनाम

1- जवेरा पिता केवलाजी गमेती मृतक के बजाय-
  1/1. भेरा पिता जवेरा गमेती निवासी आकोदड़ा तहसील झाड़रेल (फ) जिला उदयपुर।
  1/2. श्रीमती होमली बेवा जवेरा गमेती निवासी आकोदड़ा तहसील झाड़रेल (फ) जिला उदयपुर।
2- राज्य जरिये जिला कलकटर, उदयपुर।
3- राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल (फ) जिला उदयपुर।

.... रैस्पोडेंटस

खण्ड पीठ

श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री पूर्णा शंकर दशोरा, अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1

निर्णय

दिनांक : 27 जून, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-12-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-3-2002 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 232/03 शीर्षक जवेरा बनाम राज्य सरकार खारिज की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 (ए), 136 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौका आकोदड़ा की साबिक आराजी ख0 नं0 16 रकबा 10 बिस्वा

भूमि अपने स्वयं के खातेदारी होने का उल्लेख किया तथा साथ ही दर्शायी गयी उक्त भूमि अपने नाम की होने के संबंध में दस्तावेज पेश किये हैं। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करते हुए दिनांक 30–3–2002 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसकी प्रथम अपील परीक्षण न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के पेश होने पर परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8–12–2003 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 8–12–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी 26 बीघा 15 बिस्वा में से जवेरा को 10 बीघा भूमि का आवंटन कर कब्जा दिनांक 2–12–1978 को दिया गया । विचारण न्यायालय के यहां दावा सरकार व वन विभाग के विरूद्ध सैटलमेन्ट ने 59 ऐयर रकबा डाल दिया। विचारण न्यायालय द्धारा दावा डिक्री किया गया जिसकी अपील परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 8–12–2003 को खारिज कर दी। संयुक्त सर्वे किया गया जिसमें वन सीमा के बाहर है। विचारण न्यायालय द्धारा वन खण्ड झाड़ोल रेंज झाड़ोल को वन विभाग की आराजी पर बिना किसी आधार के एवं बिना किसी साक्ष्य के स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जो बिल्कुल ही नियमों के विपरीत होते हुए उसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर अपीलांट की अपील गलत खारिज की है। विचारण न्यायालय को नियमानुसार वाद में तनकीयात कायम करनी चाहिए तथा बाद तनकीयात निर्णय पारित करना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय द्धारा कथित मामले में रेकार्ड पर आयी हुई साक्ष्य का विवेचन किये बिना अपीलांट की अपील खारिज करने में भूल की है। साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 10 बिस्वा भूमि जो वादी की खातेदारी की भूमि बतायी गयी है उसे अपीलांट द्धारा अपीलांट की वनभूमि होने से आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही विचाराधीन होते हुए जो दावा डिक्री किया उसे बहाल रखने में गलती की है। विचारण न्यायालय द्धारा डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकारान का जवाब प्रस्तुत होना चाहिए था व उसके बाद तनकीयात कायम कर निर्णय करना चाहिए था। साबिक खसरा नंबर 16 के हाल आराजी नम्बर 167 राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज था तथा वन विभाग से खातेदारी भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने का अधीनस्थ

न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होते हुए अपीलांट की अपील खारिज की है। इसलिए परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि दावे में कोई बिन्दु नहीं बनाये। अपीलांट ने आवंटन से इन्कार नहीं किया है। वन विभाग की आराजी में दखल देना जाहिर किया है। विवादित आराजी की खातेदारी पहले से ही जवेरा के नाम से दर्ज थी तथा 1978 में आवंटन के बाद से विधिवत् रूप से रेस्पोडेन्ट को कब्जा दे दिया गया तथा राजस्व रेकार्ड में भी उसकी गैर खातेदारी तथा बाद में खातेदारी अंकित कर दी गई परन्तु गत सैटलमेन्ट में 10 बीघा के स्थान पर 1.01 भूमि ही दर्ज करने के कारण विचारण न्यायालय में दावा करना पड़ा । नये रूप से कोई खातेदारी तहत न्यायालय से नहीं मांगी गयी बल्कि कमी रकबे के लिए घोषणा का दावा किया गया था। विवादित आराजी वन विभाग की नहीं है। साबिक खसरा नंबर 16 का रकबा 247 बीघा बिलानाम था उसमें से 224.05 बीघा भूमि ही वन विभाग के खाते में दर्ज हुई शेष बची भूमि में से 10 बीघा भूमि रेस्पो0 को आवंटित की गई तथा 12 बीघा भूमि अबाया को आवंटित की गई। विवादित आराजी से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1969 आर.आर.डी. पेज 231 पेश की।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30-3-2002 में अंकित किया है कि वादी को राज्य सरकार ने 10 बीघा भूमि प्रदान की जिस पर हाल पैमाईश में वादी के नाम हाल आराजी स0 99 रकबा 1.01 है0 भूमि खाते में अंकित नहीं की गई। यह भूल हाल पैमाईसकताईओं की है। पटवारी हल्का से साबित है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8-12-2003 में यह अंकित किया है कि तहसीलदार झाड़ोल द्धारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रार्थी को दिनांक 21-11-1987 को 10 बीघा भूमि साबिक आराजी नम्बर 16 की अलोट हुई थी जिसका हाल माप में कुल रकबा 1.60 है0 होना चाहिए अर्थात वादपत्र के तथ्यों को तहसीलदार ने स्वीकार किया है तथा वन विभाग की ओर से भी वाद

पत्र के तथ्यों को इन्कार नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि साबिक ख0 नं0 16 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन जवेरा को हुआ था, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस तथ्य की पुष्टि नकल आवंटन आदेश व नकल नामान्तकरण से भी होती है। नकल नामान्तकरण में साबिक ख0 नं0 16 में अपीलांट को जिस जगह कब्जा दिया, उसके नक्शें की तरमीम भी की गई है। वर्ष 1978 में कब्जा देकर आवंटन खोल दिया गया था। अतः इतने पुराने आवंटन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हाल जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी चली आ रही है लेकिन निश्चित रूप से उसका रकबा 1.01 है0 ही कर दिया गया है जबकि उक्त रकबा 1.60 है0 होना चाहिए था। तहसीलदार द्धारा दिनांक 26–3–2002 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में अपने प्रस्तुत जवाब के बिन्दू सं0 5 में अंकित किया है कि वादी का कब्जा वर्तमान में किस–किस आराजी नम्बर पर है एवं यदि खातेदार के खाते में है तो खातेदारों का नाम व नकल जमाबन्दी संलग्न नहीं है एवं यदि बिलानाम भूमि पर वादी का कब्जा है तो पी–14 की नकल एवं जमाबन्दी की नकल संलन नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की शेष 0.59 है0 भूमि कहां स्थित है। वादी द्धारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि 0.59 है0 भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। पूरे वादपत्र में तथा वाद में वादी द्धारा कहीं भी साबित नहीं कराया गया है कि वादी की कम भूमि 0.59 है0 वन विभाग के किस खसरा नम्बर में मिलाई गई है। केवल वन भूमि लिखा है, पर्याप्त नहीं है। पूरे वादपत्र में मौजा आकोदड़ा की हाल आराजी सं0 167 रकबा 0.59 है0 अंकित नहीं है लेकिन विचारण न्यायालय द्धारा अपने निर्णय में ख0 नं0 167 का वादी को खातेदार घोषित किया गया है। विचारण न्यायालय द्धारा अपने निर्णय में उपरोक्तानुसार वैधानिक त्रुटि की गई है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपीलीय न्यायालय द्धारा भी नजर अंदाज किया गया है। इस प्रकार दोनों न्यायालयों द्धारा उचित निर्णय पारित नहीं किये गये हैं।

7– वादी की आराजी 0.59 है0 भूमि किस खातेदार के किस खसरा नम्बर में गयी, यह वादी को सिद्ध करना पड़ेगा लेकिन वादी द्धारा किसी भी दस्तावेज से यह साबित नहीं कराया गया है कि वादी की कम रकबा भूमि 0.59 है0 वन विभाग के नाम दर्ज हुई हो। ऐसी स्थिति में दोनों न्यायालयों द्धारा पारित निर्णय उचित प्रतीत नहीं होते हैं।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–2002 एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–12–2003 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष